आतंकवाद पर भारत का दो टूक संदेश

- भारत ने फिर दोहराई जीरो टॉलरेंस नीति
- ऑपरेशन सिंदूर को ठहराया पूरी तरह सही
- चीन की बीआरआई नीति पर हमला

बीजिंग, 16 जुलाई.चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) की बैठक में भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और चीन दोनों को कड़ा संदेश दिया है.

विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही जारी रखेगा. भारत के इस कड़े रुख के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सुर नरम पड़ते दिखे.विदेश मंत्री ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगा. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम हमले के जवाब में की गई कार्यवाही के तौर पर बिल्कुल सही ठहराया. उन्होंने जोर देकर कहा कि एस.सी.ओ. समूह को आतंकवाद और चरमपंथ से निपटने के अपने मूल उद्देश्य पर कायम रहना चाहिए और इस चुनौती से निपटने में कोई समझौता नहीं करना चाहिए.पहलगाम हमला जम्मू-कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और धार्मिक विभाजन पैदा करने की साजिश के तहत किया गया था. भारत ने स्पष्ट किया कि वह आतंकवाद का सामना करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया में दृढ़ रहेगा.

एस.सी.ओ. विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्री ने कहा कि भारत नए विचारों और प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाएगा

> भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन द्वारा पाकिस्तान को सहयोग दिए जाने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों में चीन द्वारा बाधा डाले जाने के मामलों को लेकर चिंता के बीच, विदेश मंत्री ने एस.सी.ओ. से आतंकवाद से निपटने में कोई समझौता नहीं करने वाला रुख अपनाने का आह्वान किया .विदेश मंत्री ने संघर्ष, प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ आर्थिक अस्थिरता पर भी चिंता जताई और दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया.

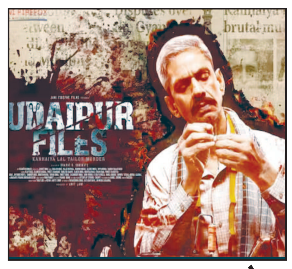

'उदयपुर फाइल्स' के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का इंकार

नयी दिल्ली, 16 जुलाई. उच्चतम न्यायालय ने उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल तेली की हत्या पर बनी हिंदी फिल्म %उदयपुर फाइल्स% पर लगी अदालती रोक हटाने से बुधवार को इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम रोक संबंधी आदेश में फिलहाल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार निर्देशानुसार फिल्म की जांच कर सकती है.

रूस ने अमेरिका की शर्तें ठुकराईं

युद्धविराम पर राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी को रूस ने नकारा

मॉस्को/कीव, 16 जुलाई.रूस ने यूक्रेन युद्धविराम पर सहमति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 50 दिनों के अल्टीमेटम को खारिज करते हुए अमेरिका की कड़े टैरिफ लगाए जाने की धमकी को अस्वीकार्य करार दिया.

रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने मंगलवार को ज़ोर देकर कहा कि उनका देश यूक्रेन संघर्ष के कूटनीतिक समाधान का पक्षधर है और बातचीत के लिए तैयार है. उन्होंने कहा यदि इसका उचित जवाब नहीं मिलता है और राजनयिक स्तर पर इससे कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता है तो हमारा विशेष सैन्य अभियान जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि रूस अपनी

बात पर अडिग है और हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) इसे गंभीरता से लेंगे. ट्रंप ने मंगलवार को उन आरोपों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने यूक्रेन को रूसी क्षेत्रों में घुसकर हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया था.

रूसी विदेश मंत्रालय ने की हथियारों की आपूर्ति की निंदा

उन्होंने कहा कि वह इस संघर्ष में किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं और उन्होंने यूक्रेन को केवल यह सलाह दी कि उसे लंबी दूरी के हथियारों से रूस को निशाना नहीं बनाना चाहिए. इस बीच रूसी विदेश मंत्रालय ने हथियारों की आपूर्ति की निंदा करते हुए कहा कि यह इस बात का सबूत है कि नाटो देश शांति में रुचि नहीं रखते. उधर यूक्रेन की संसद ने मंगलवार को देश की युद्धकालीन स्थिति और सैन्य लामबंदी को पांच नवंबर यानि 90 दिनों तक बढ़ाने के लिए मतदान किया. सांसदों ने ओटावा कन्वेंशन से अस्थायी रूप से हटने को भी मंजूरी दी जो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है और सैनिकों के खिलाफ बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाती है.

हज़ारों अफगान नागरिक तालिबान के डर से भागे ब्रिटेन

लंदन, 16 जुलाई. अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद लोगों की व्यक्तिगत जानकारी लीक होने पर हज़ारों नागरिक एक गुप्त योजना के तहत ब्रिटेन आ गए हैं .रिपोर्ट के अनुसार अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ब्रिटेन जाने के लिए आवेदन करने वाले लगभग 19,000 लोगों की व्यक्तिगत जानकारी फरवरी 2022 में लीक हो गई थी.

संसद संचालन सरकार की जिम्मेदारी

कांग्रेस प्रभारी जयराम ने कहा विपक्ष से सहमति जरूरी है

नयी दिल्ली, 16 जुलाई.संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले कांग्रेस ने सरकार को कहा है कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए उसका विपक्ष के साथ सहमति बनाकर चलना आवश्यक है.

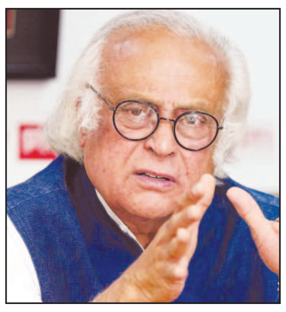

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार का दायित्व संसद का शांतिपूर्वक संचालन करना है और संसद चले इसके लिए सरकार को विपक्ष के साथ सहमति बनाकर चलना होगा. उनका कहना था कि प्राय: देखा गया है कि इस सरकार ने पहले ऐसा नहीं किया है और दूसरे दलों को महत्व नहीं दिया है और सरकार अचानक विधेयक लाकर उसे संसद में बिना चर्चा के पारित करा देती है.उन्होंने कहा, जब सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति होगी, तभी संसद ठीक से चलेगी और यह आम सहमति बनाने की ज़िम्मेदारी सरकार की होती है. ऐसा हर सरकार में होता आया है और हमने कई प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में ये होते देखा है, लेकिन दुर्भाग्य से, पिछले 11 वर्षों में जिस तरह से संसद में अचानक विधेयक पेश किए जाते हैं.

आज का इतिहास

- 1850 हार्वर्ड वेधशाला ने तारे का पहला फोटोग्राफ लिया.
- 1919 यूरोपीय देश फिनलैंड में संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई.
- 1950 पंजाब के पठानकोट शहर के पास भारत की पहली यात्री विमान दुर्घटना.
- 1987 ईरान और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध टूटे.
- 1994 धूमकेतू शुमेकर लेवी-9 का पहला टुकड़ा बृहस्पति से टकराया.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

मुख्यालय : जहांगीराबाद, भोपाल

क्र./यां.शा./442/2025 — भोपाल, दिनांक : 15.07.2025

निविदा सूचना (पंचम आमंत्रण)

विपणन संघ द्वारा Construction with Furnishing work of Sub division level office (SDO) of Agriculture Department under RKVY Scheme कार्य हेतु केन्द्रीयकृत पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से E-Tender प्रणाली के अन्तर्गत www.mptenders.gov.in पर केवल Online प्रतिशत दर के आधार पर निविदाएं दिनांक 30.07.2025 को शाम 05:30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के संबंध में अन्य जानकारी एवं अनिवार्य शर्तें निविदाकारों को मध्यप्रदेश शासन के ई-निविदा के पोर्टल www.mptenders.gov.in पर प्राप्त होगी एवं विपणन संघ की वेबसाइट www.mpmarkfed.mp.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी।

क्र.	Tender Ref. No.	कार्य का नाम	निविदा राशि रु. में
1.	2124	Construction with Furnishing work of Sub division level office (SDO) of Agriculture Department under RKVY Scheme at Harsud Distt. Khandwa (5th Call)	42,31,000.00

नोट:- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना अथवा संशोधन संबंधी जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/121120/2025 — मुख्य अभियन्ता (सि.)

जम्मू-कश्मीर को बनाओ राज्य

- खरगे और राहुल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
- लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करो
- जनता के अधिकारों की हो रक्षा

नयी दिल्ली, 16 जुलाई.कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर जम्मू -कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए विधेयक लाने की मांग की है.

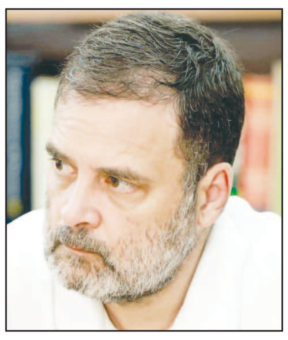

खरगे और गांधी ने कहा कि जम्मू- कश्मीर की जनता पिछले पांच साल से लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी वैध, संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रही है. यह पहली बार हुआ है जब किसी राज्य का दर्जा कम कर उसे केंद्रशासित प्रदेश में बदला गया है.कांग्रेस नेताओं ने सरकार से आग्रह किया है कि वह मानसून सत्र में संसद में एक विधेयक लाकर जम्मू -कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करे. उन्होंने इसके साथ ही लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी विधेयक लाने का सरकार से अनुरोध किया है.

> उन्होंने कहा कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने से वहां की जनता की सांस्कृतिक, विकासात्मक और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी और इससे वहां के लोगों के अधिकार, भूमि और पहचान की रक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी.जम्मू -कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा कि पहले किसी भी सरकार ने किसी भी राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में नहीं बदला है.

दिल्ली में बनेगा हरित ई-वेस्ट पार्क : सिरसा

नयी दिल्ली, 16 जुलाई. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में देश के पहले सौ प्रतिशत ग्रीन ई-वेस्ट इको पार्क के लिए नॉर्वे और हांगकांग के सफल मॉडल पर अध्ययन करायी जा रही है.सिरसा ने बुधवार को कहा, सिर्फ ढांचा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में लोगों और सरकारों का विश्वास बढ़े. इसके लिए हम दुनिया भर के सफल मॉडलों का अध्ययन कर रहे हैं, खासकर नॉर्वे और हांगकांग में, जहां ई-वेस्ट प्लांट शहरों के बीच होते हुए भी शून्य प्रदूषण फैलाते हैं. हमारा लक्ष्य है कि हम सबसे स्वच्छ और सुरक्षित तकनीक अपनायें. इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिलेगी. उन्होंने कहा, यह देश का पहला ऐसा प्लांट होगा जो ग्रीन बेल्ट से घिरा, नेट ज़ीरो एमिशन पर आधारित और वास्तव में भारत में अब तक बना सबसे हरित औद्योगिक केंद्र होगा.

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)

रजिस्टर्ड ऑफिस: द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 व 12/2-बी, ऑफिस दोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, नेक्सट टू ईजीएल बिजनेस पार्क, छलाघट्टा, बैंगलोर- 560071,

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत बैंक को प्रभारित अचल परिसंपत्तियों की बिक्री

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है. जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने संपत्ति को जब्त करने के लिए पहले ही कई सार्वजनिक नीलामी आयोजित की थी, लेकिन वे असफल रहीं क्योंकि कोई बोली प्राप्त नहीं हुई इसलिए कृपया सूचित किया जाए कि यदि उपरोक्त ऋण खाते में कुल बकाया राशि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो प्राधिकृत अधिकारी नीचे बताए अनुसार संपत्ति की निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए आगे बढ़ेंगे. आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति बैंक के बकाया की वसूली के लिए बैंक द्वारा सहमत शर्तों के अनुसार निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है.

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री 'जहां है, जैसा है' और 'जो है, जैसा है, जैसा है' के आधार पर होगी.
2. खरीदार को इस नोटिस के प्रकाशन की समाप्ति पर बिक्री मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करना होगा.
3. बैंक द्वारा खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, निर्धारित समय के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी.
4. खरीदार को अपनी संतुष्टि के अनुसार संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए. खरीदार बाद की तारीख में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा.
5. बैंक बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
6. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क, सोसायटी बकाया राशि का भुगतान करना होगा.
7. बिक्री SARFAESI अधिनियम / नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी.

क्र.	लोन खाता नंबर	देनदार/सह-देनदार का नाम	प्रार्थना नोटिस के अनुसार राशि 13(2) सरफेसी एक्ट के तहत	रिजर्व प्राइस निजी संधि के तहत
1.	45539420000516	करन पंजवानी आत्मज प्रभुदास पंजवानी	17.8.2022 तक रु. 12,46,381.60 (रुपये बारह लाख छियालीस हजार तीन सौ इक्यासी और पैसा साठ मात्र)	रु. 3,50,000/- (रु. तीन लाख पचास हजार मात्र)

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण- श्री कृष्णा पैराडाइज कॉलोनी, ग्राम राऊ, तहसील और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित, प्लॉट संख्या M-7 पर निर्मित, 'सक्षम-1' नामक बहुमंजिला इमारत में, द्वितीय तल पर फ्लैट संख्या 203 सहित संपूर्ण आर.सी.सी. सुपर स्ट्रक्चर, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 680 वर्गफुट है. सीमा- पूर्व में- फ्लैट नं. 201, पश्चिम में- फ्लैट नं. 205, उत्तर में- अन्य भूमि और दक्षिण में- सामान्य मार्ग.

उपर्युक्त उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से पहले बैंक द्वारा उठाए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उपर्युक्त बकाया राशि का भुगतान करके यहां उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन के लिए SARFAESI अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है. पत्राचार पता- श्री अजय नाइक (मोबाइल नंबर 9960948687) और ईमेल: Ajay.Naik02@janabank.com, श्री महेंद्र ब्राम्हणे (मोबाइल नंबर 9029290202) ईमेल- Mahendra.bramhane@janabank.com जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, (पूर्व में M/S. जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में जाना जाता था), जिसका शाखा कार्यालय यहां है- प्लॉट नंबर 306-ए, स्कीम नं. 54, पीयू-4, नियर कंट्री इन होटल, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इन्दौर-452001.

दिनांक- 17-7-2025, स्थान- इन्दौर — ह./- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास (म.प्र.)

कमांक- 1128 / रीडर/25 — देवास दिनांक 15/07/2025

प्रकरण कमांक 107/ अन्यविविध / 2025 — 5.5.107/अ-वि0/25

// कारण बताओ सूचना पत्र //

प्रति

1- मंगलेश शर्मा पिता श्री गणेश शर्मा
2- रानी शर्मा पति मंगलेश शर्मा
3- सवित्राबाई पति गणेश शर्मा
4- गणेश शर्मा पिता हजारीलाल शर्मा

पता - शर्मा किराणा, वार्ड नं. 2, परशुराम कॉलोनी तहसील खातेगांव जिला देवास

-0-

एतदद्वारा सूचित किया जाता है, कि प्राधिकृत अधिकारी, केपरी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लि. प्लाट नं. 103/104, कृष्णा टावर, ऑफिस नं. 101-103 प्रथम तल स्कीम नं. 140 आई सी आई सी आई बैंक ऑफ बडौदा के उपर पिपलियाहाना चौराहा इंदौर द्वारा सरफासी एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत आपकी रहन सम्पत्ति आवासीय संपत्ति का पूरा टुकडा और पार्सल, उक्त भूखण्ड सर्वे नंबर 764/1/2 पेकी पटवारी हल्का नंबर 18, वार्ड नं. 02, परशुराम कॉलोनी तहसील खातेगांव जिला देवास कुल क्षेत्रफल 700 वर्गफीट का वास्तविक कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया है।

अतः आप पक्ष समर्थन हेतु इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 22-07-2025 को दोपहर पश्चात 02.00 बजे उपस्थित रहें।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला देवास (मप्र

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला देवास (म.प्र.)

देवास, दिनांक 15/07/2025

क्रमांक/1126/रीडर/25 — प्र.क्र.124/अ.पि/2025

-:: कारण बताओ सूचना पत्र::-

प्रति,

1. सादीक शाह पिता शौकीन शाह
2. शबाना पति सादीक

पताः 46, ईटावा पुष्पकुंज कॉलोनी, ईटावा, देवास

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, इस न्यायालय के समक्ष प्राधिकृत अधिकारी आधार हाउसिंग फाइनेंस लि., 105-107 एवं 109, प्रथम तल शेखर सेंट्रल पलासिया चौराहा इन्दौर (म.प्र.) के द्वारा धारा 14 सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकस्ट्रक्शन ऑफ फाइनांशियल असेट्स एवं इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट (सरफासी एक्ट) 2002 के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि, आपके द्वारा आवेदित संस्था से ऋण प्राप्त किया गया था, उसकी **राशि 6,28,833/-** जमा नहीं कराया जाने के कारण रहन रखी सम्पत्ति ग्राम ईटावा उज्जैन रोड के अंदर, वार्ड नंबर 05, सरल नं. 14 देवास जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्गफीट का वास्तविक कब्जा दिलाया जावें।

अतः आप पक्ष समर्थन हेतु इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक **22.07.2025** को दोपहर पश्चात **02.00** बजे उपस्थित रहे।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला देवास (म.प्र.)

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां **नवभारत** के माध्यम से

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
(जनकार्य विभाग)

ई-मेल: jankarya.vibhag2023@gmail.com, फोन : 7440440233

निविदा विज्ञप्ति क्र.: 46/सिविल/25-26/ग्रुप नं-01 से ग्रुप नं-10 तक

निविदा आमंत्रण

दिनांक: 11.07.2025

केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार से (MPUADD Road & Bridge SOR/NON SOR, DATE 02-08-2021 पर आधारित) ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

ग्रुप क्र.	टेंडर क्र.	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा क्रय करने एवं खोलने की अंतिम तिथि
01	2025_UAD_436787_1	झोन क्र. 16 वार्ड क्र. 01 सिरपुर के अन्तर्गत रजा नगर में म.नं. 486 से 499 एवं 522 से 528 तक रोड का सिमेन्टीकरण करना।	90 दिवस ₹9,38,950/-	₹2,000/- ₹9,400/-	28-07-2025 6.00 PM 30-07-2025
02	2025_UAD_436788_1	झोन क्र. 01 वार्ड क्र. 10 के अन्तर्गत दगड़ मोहल्ला की क्षतिग्रस्त सड़क का सिमेन्टीकरण करना। (पार्षद निधि) (द्वितीय आमंत्रण)	120 दिवस ₹19,73,055/-	₹2,000/- ₹14,800/-	28-07-2025 6.00 PM 30-07-2025
03	2025_UAD_436789_1	झोन क्र. 07 वार्ड क्र. 33 के अन्तर्गत लाहिया कॉलोनी में मनोज मोर्य के घर से आराधना चतुरकर के घर तक की रोड का सिमेन्टीकरण करना। (पार्षद निधि) (द्वितीय आमंत्रण)	180 दिवस ₹21,06,649/-	₹5,000/- ₹15,800/-	28-07-2025 6.00 PM 30-07-2025
04	2025_UAD_436790_1	झोन क्र. 16 वार्ड क्र. 01 के अन्तर्गत सिरपुर में सोनू वाणी जी (जनता टायर) एवं मुकेश पालीवाल जी वाली गली में रोड का सिमेन्टीकरण करना।	90 दिवस ₹5,85,136/-	₹2,000/- ₹5,900/-	28-07-2025 6.00 PM 30-07-2025
05	2025_UAD_436792_1	झोन क्र. 05 वार्ड क्र. 20 के अन्तर्गत सुखलिया गांव में सुलभ शौचालय के पास स्थित रिक्त भूमि पर संस्कार भवन का निर्माण करना। (तृतीय आमंत्रण)	240 दिवस ₹61,84,723/-	₹10,000/- ₹46,400/-	28-07-2025 6.00 PM 30-07-2025
06	2025_UAD_436793_1	झोन क्र. 22 वार्ड क्र. 35 के अन्तर्गत सिंगापुर टाउनशिप, केलोद कांकड़, बजरंग नगर तोड़ा में आवश्यक स्थानों पर मुरम चुरी एवं आवश्यक मटेरियल डालना।	90 दिवस ₹9,32,585/-	₹2,000/- ₹9,400/-	28-07-2025 6.00 PM 30-07-2025
07	2025_UAD_436795_1	झोन क्र. 13 वार्ड क्र. 77 के अन्तर्गत केलोद करताल गांव से मोरोद माचला मेन रोड तक सीमेन्ट कांक्रीट की सड़क का निर्माण करना। (द्वितीय आमंत्रण)	240 दिवस ₹1,16,15,103/-	₹12,500/- ₹58,100/-	28-07-2025 6.00 PM 30-07-2025
08	2025_UAD_436797_1	झोन क्र. 11 के अन्तर्गत हाईकोर्ट चौराहा से पलासिया चौराहे की दायी तरफ स्ट्रार्म वॉटर लाईन डालना।	240 दिवस ₹1,65,24,266/-	₹12,500/- ₹82,700/-	28-07-2025 6.00 PM 30-07-2025
09	2025_UAD_436798_1	झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 59 में हरसिद्धी क्षेत्र के अन्तर्गत नार्थ हरसिद्धी कालका माता मंदिर से डबल मंजिला कॉम्पलेक्स तक रोड का सिमेन्टीकरण करना। (कायाकल्प योजना 2.0) (द्वितीय आमंत्रण)	120 दिवस ₹11,12,786/-	₹2,000/- ₹8,400/-	28-07-2025 6.00 PM 30-07-2025
10	2025_UAD_436799_1	झोन क्र. 07 वार्ड क्र. 34 के अन्तर्गत देवास नाका चौराहा पर स्थित रिक्त भूमि पर श्री सेवालाल गोर बंजारा समाज सामुदायिक भवन एवं अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करना। (मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसरंचना निर्माण योजना) (द्वितीय आमंत्रण)	120 दिवस ₹10,05,453/-	₹2,000/- ₹7,600/-	28-07-2025 6.00 PM 30-07-2025

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

अधीक्षण यंत्री
(जनकार्य विभाग)
नगर पालिक निगम, इन्दौर

कार्यालय कलेक्टर (खनिज- शाखा), जिला- बड़वानी (म.प्र.)

E-mail id-modgmbar@mp.gov.in

क्रमांक-1162/खनिज/2025 — बड़वानी, दिनांक 14/07/2025

सूचना (म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18(1-क)

यह सूचित किया जाता है कि आवेदक **श्री मुकेश तोमर पिता श्री सरदारसिंह तोमर निवासी सरदार वार्ड -05, ग्राम दवाना, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी (म.प्र.)** द्वारा मप्र राजपत्र असाधारण दिनांक 22.01.2021 के पालन में गौण खनिज मुरम हेतु म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18-क के तहत नवीन उत्खनि पट्टा प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.07.2025 को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत आवेदन पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	भूमि का प्रकार शासकीय/निजी	खनिज का का नाम	आवेदन आईडी क्र.
बड़वानी	ठीकरी	भटगवला	1/1/1/1	2.00 हेक्टर	शासकीय भूमि	मुरुम	37052
			कुल रकबा	2.00 हे.			

उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो अथवा इस संबंधमें कोई अन्य दावा प्रस्तुत करना चाहता हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला बड़वानी में आपत्ति का लेख/कारण दर्शाते हुएलिखित रूप से प्रमाण सहित प्रस्तुत करें।

नियत अवधि के उपरान्त प्रस्तुत किसी भी आपत्ति/दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रभारी अधिकारी
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा),
जिला बड़वानी

जी -15676/25

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
विद्युत विभाग

E-mail: imcvidhyutvibhag@gmail.com

विज्ञप्ति क्र.: 10/25-26/ ई टेंडर C.E/E&M

निविदा सूचना

दिनांक: 14/07/2025

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्र. जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
1	2025-UAD-437168 14-07-2025	झोन क्र. 05 वार्ड क्र. 23 के अंतर्गत सुभाष नगर चौराहे से परदेशीपुरा तुलसी कॉम्पलेक्स के सामने तक सेन्ट्रल लाईट के संधारण संबंधी कार्य।	1 माह ₹5,49,678/-	₹2,000/- ₹5,500/-	29.07.2025 5:30 P.M
2	2025-UAD-437177 14-07-2025	झोन क्र. 05 वार्ड क्र. 23 के अंतर्गत अपंगबाल गृह उद्यान में वृद्धाश्रम उद्यान में अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था करने संबंधी कार्य।	1 माह ₹6,00,221/-	₹2,000/- ₹6,010/-	29.07.2025 5:30 P.M
3	2025-UAD-457206 14-07-2025	झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 65 के अंतर्गत बैराठी कॉलोनी में स्थित गुरू गोविन्दसिंह उद्यान में प्रकाश व्यवस्था करने संबंधी कार्य।	1 माह ₹7,99,066/-	₹2,000/- ₹8,000/-	29.07.2025 5:30 P.M
4	2025-UAD-437181 14-07-2025	झोन क्र. 05 वार्ड क्र. 23, 27 के अंतर्गत अनूप टॉकीज तिराहा से केशव कनक उद्यान तिराहा तक ग्रीन बेल्ट के क्षतिग्रस्त केबल एवं पोल की टुटी, फुटी हण्डीया आदि बदलने संबंधी कार्य।	1 माह ₹15,50,700/-	₹2,000/- ₹11,700/-	13.08.2025 5:30 P.M
5	2025-UAD-437192 14-07-2025	झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 65 के अंतर्गत खातीवाला टेंक कॉलोनी में हरूमल रिझवानी उद्यान में प्रकाश व्यवस्था करने संबंधी कार्य।	1 माह ₹17,38,426/-	₹2,000/- ₹13,100/-	13.08.2025 5:30 P.M
6	2025-UAD-437212 14-07-2025	झोन क्र. 17 वार्ड क्र.18 के अंतर्गत शिवकंठ चौराहा से भवानी नगर अवन्तिका गैस पॉइंट चौराहा तक सेन्ट्रल लाईट पोल स्थापित करने संबंधी कार्य।	1 माह ₹14,56,114/-	₹2,000/- ₹11,000/-	13.08.2025 5:30 P.M

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

नगर शिल्पज्ञ
नगर पालिक निगम, इन्दौर